कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ट्राईऐंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : सितम्बर 2013

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :—

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 अक्टूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/— रू. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. नीलामी के पश्चात् एकजाई साईट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। आगामी वर्ष (01 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व अर्थात 60 दिवस में नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एव केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष (01 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी । नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनो तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घडी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तो की पालना किए बिना ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तो/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।

10. लाईसेंस अवधि समाप्ति पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

11. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम ड्राईंग के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाईन बनाने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत करवाकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।

13. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।

14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।

15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।

17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खडा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।

19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।

21. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।

22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम–2009 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।

23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।

24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।

25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।

26. अगर कोई ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां–2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।

27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।

28. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मान्य होगा।

29. सभी ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटो (गमलों) पर विज्ञापन करने की शर्ते

नीलामी : सितम्बर 2013

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर बनी हुयी निर्मित पुलियाओं (आर.ओ.बी. एवं फ्लाईओवर) पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की **लाईसेंस की शर्ते** निम्न प्रकार हैं :—

1. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित पुलियाओं पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन करने का अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।
2. पुलियाओं/ROB पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 अक्टूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014) तक के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी सूची अनुसार एकजाई की जावेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 25,000/— अक्षरे (पच्चीस हजार रूपये मात्र) पुलियाओं/ROB की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. निगम सीमा में पुलियाओं/ROB के डिवाईडर पर दो बिजली खम्बों के बीच दो फ्लावर पोटों (गमलों) में पेड़/पौधे (सुन्दर फुलों के) लगाने होंगे जिनमें से एक पोट पर निगम का स्लोगन एवं एक पोट पर फर्म द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा। फ्लावर पोटों का साईज 2'X3' का होगा। निर्मित पुलियाओं पर लगे फ्लावर पोटों (गमलों) पर चारों ओर विज्ञापन/स्लोगन किया जायेगा।
7. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे । अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा । पुलियाओं/ROB में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
8. पुलियाओं/ROB पर लगने वाले गमले, पेड/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग—रोगन व चित्रकारी आदि लाईसेंसधारी को कराना होगा एवं उनका संधारण भी लाईसेंसधारी को करना होगा। निगम विज्ञापन में नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित स्लोगन का विशेष ध्यान रखना होगा।
9. फ्लावर पोट (गमलों) एवं पेड़/पौधों का रख—रखाव सही नहीं होने पर एवं विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 शर्तोनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, पोटों पर लगे विज्ञापन को निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।

E:\Aug 2013\RAMSWAROOPJI-LETTER-AUG-2013\T&C Auction SEP 2013.doc

10. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन–पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे–खर्चे पर हटवा देंगे।

11. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। आगामी वर्ष (01 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष (01 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर नीलामी निरस्त कर दी जावेगी एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

12. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), पेड/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग–रोगन, चित्रकारी एवं प्रदर्शित विज्ञापन/श्लोगन की देखभाल एवं रख–रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलियाओं पर रखे पोटों में पेड़–पौधें सही तरीके से हरे–भरे रखने होंगे एवं समय पर उनमें पानी, खाद्य देने की एवं समस्त रख–रखाव की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी पोट में किसी प्रकार की टूट–फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं की हर्जे पर ठीक करवाना होगा। पोट दुरूस्त हालत में रंग–रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा।

13. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (पोटो को सही हालत में सम्मलाने पर) होने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।

14. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।

15. अगर कोई फ्लावर पोटों (गमलों) को जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या बी.आर.टी.एस. रोड़/मेट्रो परियोजना के कारण या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।

16. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।

17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।

18. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कर अथवा भविष्य में लगने वाला कर का वहन लाईसेंसधारी को ही करना होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर

ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ ऑयलैण्ड पर) की सूची

नीलामी सूची, सितम्बर 2013

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।	
2.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयॅलेण्ड पर।	
4.	टोंक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।	
5.	टोंक रोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी–पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।	
6.	टोंक रोड़, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी–पूर्वी ऑयलैण्ड पर।	
7.	टोंक रोड, ई.पी. चौराहा उत्तरी–पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।	
8.	झोटवाडा रोड़, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी–2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
10.	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।	

कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलियाओं पर गमले
नीलामी सूची, सितम्बर 2013

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1.	जगतपुरा ROB	
2.	सीतापुरा पुलिया ROB	
3.	मानसरोवर पुलिया ROB	
4.	टोंक फाटक पुलिया ROB	
5.	~~मालवीय नगर ROB~~	
6.	~~भास्कर पुलिया ROB~~	
7.	सांगानेर फ्लाईओवर	
8.	दुर्गापुरा ROB	
9.	गोपालपुरा बाईपास ROB	
10.	टोंक रोड़ गोपालपुरा मोड फ्लाईओवर	
11.	बाईस गोदाम पुलिया ROB	
12.	अजमेर रोड़ पुलिया ROB	
13.	खातीपुरा पुलिया ROB	
14.	हसनपुरा पुलिया ROB	

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, सितम्बर 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

मानसरोवर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MSZ-03	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थडी देखते हुए।	
2.	MSZ-08	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहे पर ही दक्षिण पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुए ।	
3-	MSZ-12	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुए।	
4.	MSZ-13	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउण्ड्रीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते वि.प.नं. 2	
5.	MSZ-47	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के दक्षिणी ओर रेल्वें बाउण्डरी वॉल के पास, बजरी मण्डी।	
6.	MSZ-48	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के उत्तरी ओर रेल्वें बाउण्डरी वॉल के पास।	
7.	MSZ-50	30' X 15'	महारानी फार्म, गायत्री नगर जाने वाली रोड़ के सामने फुटपाथ पर।	NEW
8.	MSZ-52	30' X 15'	टोंक रोड़, ई.पी. सिनेमा के सामने, प्रेम निकेतन अस्पताल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
9.	MSZ-59	30' X 15'	आश्रम मार्ग जवाहर सर्किल आश्रम मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर।	
10.	MSZ-60	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रमिनल 2 एयरपोर्ट रोड़ पर, जय गुरूदेव सत्संग स्थल जाने वाले मार्ग पर एयरपोर्ट देखता हुआ।	
11.	MSZ-61	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रमिनल 2 एयरपोर्ट रोड़ पर वेदबिहार कॉलोनी के सामने फार्म हाउस के पास एयरपोर्ट देखता हुआ।	
12.	MSZ-62	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के पास बने नाले की पुलिया के पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
13.	MSZ-63	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के पास बने नाले की पुलिया के पूर्वी–दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर।	NEW

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, सितम्बर 2013

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

सिविल लाईन जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	CLZ - 12	16' X 8'	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास सहकार भवन देखते हुए।	
2.	CLZ - 41	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग, गवर्नमेंट प्रेस सर्किल, एम.ई.एस. की दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानांतर।	
3.	CLZ - 52	16' X 8'	सिरसी रोड़, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर वि.प.नं. 3	
4.	CLZ - 60	16' X 8'	वैशाली नगर, क्वींस रोड़, आम्रपाली तिराहे पर मिलेक्ट्री की दीवार के सहारे।	
5.	CLZ - 63	16' X 8'	गीजगढ़ हाउस, हवा सड़क।	
6.	CLZ - 64	16' X 8'	हवा सडक, गीजगढ़ हाउस के सामने सोडाला देखते हुए।	
7.	CLZ - 86	16' X 8'	अशोक मार्ग, सी–स्कीम, अहिंसा सर्किल पर मेलबोर्न हाउस के गेट के पास फुटपाथ पर सुभाष मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
8.	CLZ – 91	16'X8'	संसार चन्द्र रोड होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के समानान्तर।	
9.	CLZ – 94	16'X8'	क्विन्स रोड, झारखण्ड महादेव तिराहा, पैट्रोल पम्प के सामने मिलट्री दीवार के समांतर फुटपाथ पर ।	
10.	CLZ – 96	16'X8'	जमना लाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक दक्षिणी ओर फुटपाथ पर जय गुरूदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुए वि. प.नं. 1	

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, सितम्बर 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

सांगानेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	SNZ-40	16'X8'	टोंक रोड, हल्दीघाटी चौराहा से पहले पश्चिमी ओर, टोंक रोड़ देखते हुए।	
2.	SNZ-42	16' X 8'	टोंक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
3.	SNZ-44	16' X 8'	टोंक रोड़, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के दक्षिण कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.नं. 1	
4.	SNZ -53	16' X 8'	टोंक रोड़ सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानान्तर फुटपा थ पर पुलिया देखते हुए।	
5.	SNZ -54	16' X 8'	टोंक रोड, प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग के चौराहे पर पूर्वी–दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखता हुआ।	
6.	SNZ -57	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर-ROB के पास ROB के पूर्वी ओर RIICO रेल्वें लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास	
7.	SNZ -58	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पश्चिम ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास	
8.	SNZ -59	30' X 15'	टोंक रोड़ सीतापुरा ROB के पास, पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ।	NEW
9.	SNZ -60	30' X 15'	टोंक रोड़ सीतापुरा ROB के पास, दक्षिणी–पूर्व की ओर खाली भूमि के पास टोंक रोड़ देखता हुआ।	NEW

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, सितम्बर 2013

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

आमेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	AMZ-01	30' X 15'	आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उधान के सामने, पार्किंग के पास फुटपाथ पर	
2.	AMZ-02	16' X 8'	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 3 ।	
3.	AMZ-03	16' X 8'	आमेर, होटल के.के. रॉयल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंति रंगमंच की दीवार के पास कुण्डा देखते हुए।	
4.	AMZ-04	16' X 8'	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति क्लिनीक के पास पूर्व की ओर बने स्लीप लाईन के पास बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर ।	
5.	AMZ-08	16' X 8'	आमेर रोड, होटल होलीडे इन के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुए ।	
6.	AMZ-09	16' X 8'	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहीनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 1	
7.	AMZ-16	30' X 15'	जल महल AMZ-02 के पास नाले की दीवार के पास होटल दरबार के पास।	NEW
8.	AMZ-17 NEW HMZ(W)-10 OLD	16' X 8'	आमेर रोड कुण्डा ज्योति क्लिनिक के पास।	

हवामहल (पूर्व)

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	HMZ (E)-07	16'X8'	दिल्ली रोड बाईपास, बन्ध की घाटी के पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने से उपरोक्त साईट के पास ही समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 3	
2.	HMZ(E)-16	30'X15'	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानान्तर कब्रिस्तान गेट के पश्चिम की ओर, गोविन्द मार्ग देखते हुए।	
3.	HMZ(E)-18	30' X 15'	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानान्तर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर, गोविन्द मार्ग देखते हुए।	NEW

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, सितम्बर 2013
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

मोतीडूंगरी जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MDZ-01	16' X 8'	टोंक रोड़, अजमेरी गेट, एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
2.	MDZ-02	16' X 8'	टोंक रोड, अशोक मार्ग, स्लिप लाईन पर एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
3.	MDZ-03	16' X 8'	टोंक रोड, अशोक मार्ग, तिराहा एमजीडी स्कूल की दीवार के पास बने स्लिप लाईन पर साईट सं. MDZ-2 से 60 फुट दूर अशोक मार्ग की ओर दीवार के समानान्तर।	
4.	MDZ-04	16' X 8'	टोंक रोड, उपरोक्त के सामने स्लिप लाईन पर महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
5.	MDZ-05	16' X 8'	टोंक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर, स्लिप लाईन पर वि.प.नं. 2	
6.	MDZ-06	16' X 8'	अशोक मार्ग, जय क्लब की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर चौराहा देखते हुए।	
7.	MDZ-10	16' X 8'	टोंक रोड, सूचना केन्द्र के सामने आरोग्य मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।	
8.	MDZ-18	16' X 8'	टोंक रोड़ उपरोक्त साईट से थोड़ा आगे रामबाग स्टाफ क्वार्टर के मैन गेट से थोड़ा आगे रामबाग स्टाफ क्वार्टर के मैन गेट के सामने सड़क के पश्चिमी ओर दीवार के सहारे समानान्तर	
9.	MDZ-41	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर बिड़ला मंदिर के पीछे सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
10.	MDZ-42	16' X 8'	शांति पथ तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
11.	MDZ-47	16' X 8'	मोतीडूंगरी रोड़, धर्मसिंह सर्किल पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे गोविन्द मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
12.	MDZ-54	16' X 8'	गोविन्द मार्ग, पागल खाने की दीवार के पास, भैरव फिलंग स्टेशन के सामने नाले के पास।	
13.	MDZ-55	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग त्रिमूर्ति सर्किल, मूक बंधिर स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
14.	MDZ-56	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी सर्किल यूनिवर्सिटी की दीवार के समानान्तर महात्मा गॉधी रोड़ की ओर फुटपाथ पर।	
15.	MDZ-57	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे के पास पश्चिमी दक्षिणी कोने पर।	
16.	MDZ-59	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानान्तर मालवीय नगर की ओर से वि.प.न.1 ।	
17.	MDZ-68	16' X 8'	टोंक रोड रिर्जव बैंक के पास तख्ते शाही रोड के उत्तरी कोने पर ।	
18	MDZ-73	16' X 8'	हिम्मत नगर आर.ओ.बी. (भास्कर के पास) से गांधी नगर स्टेशन रोड पर सरस पार्लर के सामने रेल्वें दीवार के पास फुटपाथ पर।	NEW
19.	MDZ-75	30' X 15'	बजाज नगर एनक्लेव स्कीम के सामने रेल्वें क्वार्टर के बाहर रेल्वें दीवार के पास सरस डेयरी देखते हुए।	NEW
20.	MDZ-77	30' X 15'	गांधी नगर रेल्वे स्टेशन रोड ROB से पश्चिम की ओर रेल्वें कम्पाउण्ड वाल के पास अजमेरी गेट देखते हुए।	
21.	MDZ-78	16' X 8'	जवाहर नगर सैक्टर-7 के पास बने सुलभ शौचालय के बाहर कोने पर फुटपाथ पर।	NEW

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
22.	MDZ-79	30' X 15'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड़, रिलायन्स पैट्रोल पम्प से थोडा आगे मंदिर की दिवार के पास।	
23.	MDZ-80	16' X 8'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड़, जगतपुरा ROB से पहले वन विभाग की दिवार के पास बने फुटपाथ पर ROB देखते हुए।	
24.	MDZ-83	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, आरोग्य मार्ग के सामने, रेजीडेन्ट डॉक्टर हॉस्टल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
25.	MDZ-84	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, मुखबधीर स्कूल के दक्षिण गेट के पास।	NEW
26.	MDZ-86	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, जगतपुरा रेल्वे फाटक रेल्वे दीवार के पास मालवीया नगर देखता हुआ।	NEW
27.	MDZ-87	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, रेल्वे फ्लेट्स के सामने निर्माणाधीन मंगलम् बाजार के कोने पर जगतपुरा देखता हुआ।	NEW

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, सितम्बर 2013

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

विद्याधर नगर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	VDZ- 03	16' X 8'	झोटवाडा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर।	
2.	VDZ- 10	16' X 8'	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुए।	
3.	VDZ-14	16' X 8'	विद्याधर नगर निर्माण विहार सै. 3 के आगे सिने स्टार चौराहे के पास दक्षिणी–पश्चिमी ओर	
4.	VDZ-15	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
5.	VDZ-16	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 3	
6.	VDZ-18	16' X 8'	विद्याधर नगर, निमार्ण विहार, सैक्टर–3 के आगे सिनेस्टार चौराहे के पास फुटपाथ पर समानांतर वि.प.नं. 2	
7.	VDZ-19	16' X 8'	विद्याधर नगर, निमार्ण विहार, सैक्टर–3 की दीवार के पास फुटपाथ पर समानांतर वि.प.नं. 2	
8.	VDZ-22	16' X 8'	विद्याधर नगर, उपरोक्त तिराहे पर ही उत्तर पूर्व पर बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न. 2	
9.	VDZ-26	16'X8'	विद्याधर नगर, नया खेडा के पास खण्डेलवाल टावर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल कैटर्स के पास दक्षिणी–पूर्वी कोने पर ।	
10.	VDZ-27	16'X8'	अम्बाबाडी सर्किल पर उत्तरी पूर्वी कोने पर ।	
11.	VDZ-37	16'X8'	विद्याधर नगर, सर्किल सै. 5 पर उत्तरी पूर्वी कोने पर सै. 6 में बने फ्लेट्स की दीवार के पास।	
12.	VDZ-39	16'X8'	विद्याधर नगर, पुराने विद्याधर सर्किल पर पश्चिमी उत्तरी कोने पर।	
13.	VDZ-40	16'X8'	पानीपेच तिराहे पर बस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती के पास झोटवाड़ा देखते हुए।	
14.	VDZ-47	16' X 8'	झोटवाडा रोड, चांदपोल श्मशान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुए।	NEW
15.	VDZ-50	30' X 15'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी–पोईट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुए।	NEW
16.	VDZ-57	30' X 15'	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानान्तर कांवटिया सर्किल देखते हुए।	NEW
17.	VDZ-58	30' X 15'	चिंकारा कैन्टीन के सामने साईट संख्या VDZ-45 के पास चिंकारा कैंटीन की ओर सर्किल देखते हुए।	NEW
18.	VDZ-59	30' X 15'	क्लैक्ट्री सर्किल, अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर।	NEW

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : सितम्बर 2013

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं **लाईसेन्स की शर्तें** :–

1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक–पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16X8 फीट साईज के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 अक्टूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक 16X8 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए पांच हजार रूपये तथा प्रत्येक 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 15,000/– रू. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
4. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनीपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 16X8 फीट के तथा 30X15 फीट साईज के यूनिपोल साइटों का (01 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015) तक के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष 16X8 फीट साईज के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों का नवीनीकरण (01 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नही होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी । किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नही किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जावेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जावेगा।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
8. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।

9. लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रू. 30,000/– एवं 30'X15' के यूनिपोल के लिये रू. 60,000/– हर्जा–खर्चा वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आंशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्वः विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।

12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।

13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नही होगी।

14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।

16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खडा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।

18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।

20. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।

21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम–2009 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।

22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।

23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नही लौटाई जायेगी।

24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।

25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां–2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।

26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।

27. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मान्य होगा।

28. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर